भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2318
07 अगस्त, 2026 को उत्तर देने के लिए

पंजाब में पीएमकेएसवाई और पीएमएफएमई योजनाओं का कार्यान्वयन

2318. डा. विक्रमजीत सिंह साहनीः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पंजाब में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और प्रधानमंत्री-सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमकेएसवाई के तहत संस्वीकृत, पूर्ण और कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है, साथ ही पीएमएफएमई के लाभार्थियों की ज़िला-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या राज्य सरकार से संबंधित कारणों से कोई पीएमकेएसवाई परियोजना या पीएमएफएमई आवेदन लंबित या विलंबित हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोनों योजनाओं के तहत पंजाब को संस्वीकृत, जारी और प्रयुक्त धनराशि का योजना-वार ब्यौरा क्या है, साथ ही समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) पंजाब राज्य सहित पूरे देश में केंद्रीय क्षेत्र की अंब्रेला योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और केंद्र प्रायोजित योजना - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) लागू कर रहा है।

पंजाब राज्य में, एमओएफपीआई ने दिनांक 30.06.2026 तक पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत 1663.76 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली 79 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिसमें 454.98 करोड़ रुपये की केंद्रीय अनुदान सहायता शामिल है। पीएमएफएमई के अंतर्गत, दिनांक 30.06.2026 तक 3,506 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को 298.05 करोड़ रुपये की सब्सिडी स्वीकृत की गई है, और 1404 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए 4.36 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी स्वीकृत की गई है।

(ख): पंजाब में पिछले तीन वर्षों (2023-24 से 2025-26) के दौरान पीएमकेएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत 12 परियोजनाओं और पीएमएफएमई के अंतर्गत 2,380 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) और (घ): पीएमकेएसवाई के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी विभिन्न कारकों के कारण होती है, जैसे कि राजस्व प्राधिकरण, नगर नियोजन, विद्युत प्राधिकरण, जल प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लाइसेंसिंग प्राधिकरण आदि सहित संबंधित एजेंसियों से वैधानिक स्वीकृति प्राप्त न होना। विशेष रूप से केवल राज्य सरकार के कारणों से कोई भी पीएमकेएसवाई परियोजना लंबित या विलंबित नहीं हुई है। पीएमएफएमई योजना मांग-आधारित है और इसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा लागू किया जाता है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी घटक के अंतर्गत, विभिन्न स्तरों पर परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है और ऋणदाता बैंकों द्वारा उनके मौजूदा ऋण मानदंडों और नीतियों के अनुसार ऋण स्वीकृत किए जाते हैं। बैंकों द्वारा सफल सत्यापन के बाद, राज्यों द्वारा सब्सिडी जारी की जाती है। पंजाब राज्य के लिए किसी भी स्तर पर कोई विशेष देरी नहीं होती है।

एमओएफपीआई ने परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें शामिल हैं (i) परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए डैशबोर्ड; (ii) कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता के लिए प्रमोटरों के साथ नियमित समीक्षा करना; (iii) परियोजनाओं को पूरा होने में देरी से बचाने के लिए साइट विज़िट (वर्चुअल विज़िट सहित) के माध्यम से उनकी प्रगति का आकलन करना; (iv) परियोजनाओं के लिए टर्म लोन की स्वीकृति और वितरण में तेज़ी लाने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ उठाए गए मुद्दे; (v) परियोजनाओं के विलंबित होने की स्थिति में प्रमोटरों पर दंडात्मक प्रावधान।

एमओएफपीआई प्रदर्शन को बेहतर बनाने और निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों और राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की बैठकों में पीएमएफएमई योजना की समय-समय पर समीक्षा करता है।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत राज्य-वार बजट आवंटन नहीं किया जाता है। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, योजना की शुरुआत से लेकर दिनांक 30.06.2026 तक पंजाब राज्य को 224.88 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी/आवंटित किया गया है।

*****

अनुबंध

दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर हेतु "पंजाब में पीएमकेएसवाई और पीएमएफएमई योजनाओं का कार्यान्वयन "के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2318 के भाग (ख) के उत्तर के संदर्भित अनुबंध

क. पिछले तीन वर्षों (2023-24 से 2025-26) के दौरान पीएमकेएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ज़िला	स्वीकृति की तिथि	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)	जारी अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)	स्थिति
घटक योजना-एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना							
1	मैंडर मिल्क प्लांट	लुधियाना	13-03-26	8.47	2.19	0.00	कार्यान्वयन के अंतर्गत
2	बसंत आइसक्रीम एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	लुधियाना	13-03-26	39.44	5.58	0.00	कार्यान्वयन के अंतर्गत
घटक योजना-खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना							
3	एसएमपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज	गुरदासपुर	08-07-23	17.00	5.00	5.00	पूर्ण
4	स्टार फूड्स	लुधियाना	29-02-24	64.58	5.00	5.00	पूर्ण
5	परफेक्ट पोल्ट्री प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	अमृतसर	13-03-26	18.31	5.00	0.00	कार्यान्वयन के अंतर्गत
6	राहे हेल्दी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	फिरोजपुर	13-03-26	7.66	2.07	0.00	कार्यान्वयन के अंतर्गत
7	स्टेक्सा एग्रो एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	बरनाला	13-03-26	21.13	5.00	0.00	कार्यान्वयन के अंतर्गत
8	शिवालय एग्रो फूड्स	बरनाला	13-03-26	20.15	5.00	0.00	कार्यान्वयन के अंतर्गत
9	चाणक्य डेयरी प्रोडक्ट्स	फतेहगढ़ साहिब	13-03-26	19.41	4.58	0.00	कार्यान्वयन के अंतर्गत

	प्राइवेट लिमिटेड						
10	पंजाब फ्रोजन फूड्स	होशियारपुर	13-03-26	18.20	5.00	0.00	कार्यान्वयन के अंतर्गत
11	चाणक्य बेकरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	फतेहगढ़ साहिब	13-03-26	18.00	5.00	0.00	कार्यान्वयन के अंतर्गत
घटक योजना-खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना							
12	एम्मिनेंट एनालिटिक्स	एसएएस नगर	01-03-24	10.84	4.56	2.23	कार्यान्वयन के अंतर्गत

ख . पिछले तीन वर्षों (2023-24 से 2025-26) के दौरान पीएमएफएमई के अंतर्गत स्वीकृत सूक्ष्म खाद्य उद्यमों का विवरण

क्र .सं .	**जिले**	**स्वीकृत सूक्ष्म खाद्य उद्यमों की संख्या**
1	अमृतसर	38
2	बरनाला	201
3	बठिंडा	423
4	फरीदकोट	100
5	फतेहगढ़ साहिब	39
6	फाजिल्का	36
7	फिरोजपुर	64
8	गुरदासपुर	70
9	होशियारपुर	68
10	जालंधर	92
11	कपूरथला	33
12	लुधियाना	177
13	मलेरकोटला	79
14	मनसा	203
15	मोगा	165
16	पठानकोट	20
17	पटियाला	140
18	रूपनगर	19
19	एस.ए.एस नगर	33
20	संगरूर	220
21	शहीद भगत सिंह नगर	18
22	श्री मुक्तसर साहिब	117
23	तरन तारन	25
	कुल योग	**2380**

*****